**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2025**

**दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ**

**उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना**

**†2025. कु. सुधा आर.:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए अनिवार्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू विद्युत उपभोग शुल्क में प्रतिवर्ष वृद्धि करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यूडीएवाई योजना के कार्यान्वयन के पश्चात डिस्कॉमों के वित्तीय पुनरुद्धार का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार अथवा डिस्कॉम द्वारा यूडीएवाई योजना की आवश्यक शर्तों का अनुपालन न करने का विकल्प चुना है, यदि हां, तो उससे उत्पन्न वित्तीय परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सभी राज्यों द्वारा उदय योजना को लागू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो योजना को लागू न करने वाले राज्यों की सूची क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) से (च) :** उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी जिसका समग्र उद्देश्य वितरण क्षेत्र में वित्तीय पुनर्गठन तथा दक्षता संबंधी सुधार के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना था। उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा, दिनांक 30.09.2015 तक की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉमों के बकाया ऋण का 75% हिस्सा एसडीएल (राज्य विकास ऋण) बॉन्ड जारी करके अपने ऊपर लिए जाने की परिकल्पना की

गई थी। इसके अलावा, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को डिस्कॉम की भावी हानियों को चरणबद्ध तरीके से अपने ऊपर लेना था। यह स्कीम वैकल्पिक थी और 27 राज्यों (ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) और 5 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली एवं चंडीगढ़ को छोड़कर) ने उदय के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस स्कीम के तहत, ऋण अधिग्रहण के लिए कुल 2.34 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए गए थे और स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों ने डिस्कॉम की 36,378 करोड़ रुपये की हानियों का भार अपने ऊपर लिया था। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I तथा II** पर संलग्न हैं।

उदय के अंतर्गत डिस्कॉम की भागीदारी तथा तत्पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि वित्त वर्ष 2015 में 25.72% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई हैं, जबकि आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के बीच का अंतर 0.58 रुपये/केडब्ल्यूएच से घटकर 0.06 रुपये/केडब्ल्यूएच हो गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप वितरण यूटिलिटी ने कुल मिलाकर विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2025 में 2,701 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर है।

**लो.स.अतारां.प्र.सं. 2025**

**अनुबंध-I**

**उदय के तहत जारी बॉन्ड का राज्य-वार विवरण (करोड़ रुपये में)**

| क्रम सं. | राज्य | जारी किए जाने वाले बांड | राज्यों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड | डिस्कॉम द्वारा जारी बांड | उदय के तहत जारी कुल बॉन्ड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8,893 | 8,256 | 0 | **8,256** |
| 2. | असम | 1,132 | - | 0 | **-** |
| 3. | बिहार | 2,332 | 2,332 | 777 | **3,109** |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 870 | 870 | 0 | **870** |
| 5. | हरियाणा | 25,950 | 25,950 | 0 | **25,950** |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2,891 | 2,891 | 0 | **2,891** |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 3,538 | 3,538 | 0 | **3,538** |
| 8. | झारखंड | 6,924 | 6,136 | 0 | **6,136** |
| 9. | मध्य प्रदेश | 7,360 | 7,360 | 0 | **7,360** |
| 10. | महाराष्ट्र | 4,960 | 4,960 | 0 | **4,960** |
| 11. | मेघालय | 125 | 125 | 0 | **125** |
| 12. | पंजाब | 15,629 | 15,629 | 0 | **15,629** |
| 13. | राजस्थान | 62,422 | 62,422 | 12,368 | **74,790** |
| 14. | तमिलनाडु | 22,815 | 22,815 | 0 | **22,815** |
| 15. | तेलंगाना | 8,923 | 8,923 | 0 | **8,923** |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 39,908 | 39,133 | 10,377 | **49,510** |
| | **कुल** | **2,14,672** | **2,11,340** | **23,522** | **2,34,862** |

**लो.स.अतारां.प्र.सं. 2025**

**अनुबंध-II**

**उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा अपने ऊपर ली गई हानियों का राज्यवार विवरण (करोड़ रुपये में)**

| क्रम सं. | राज्य | राज्यों द्वारा अपने ऊपर ली जाने वाली कुल हानियाँ | वास्तव में अपने ऊपर ली गई हानियाँ |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3,100 | 3,100 |
| 2. | असम | 146 | 152 |
| 3. | बिहार | 2,454 | 2,454 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 546 | 288 |
| 5. | हरियाणा | 10 | 10 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 02 | 02 |
| 7. | झारखंड | 862 | 862 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 3,798 | 3,799 |
| 9. | मेघालय | 358 | 412.5 |
| 10. | पंजाब | 821 | 821 |
| 11. | राजस्थान | 99 | - |
| 12. | तमिलनाडु | 10,132 | 9,366 |
| 13. | तेलंगाना | 5,891 | 9,340 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 4,075 | 5,771 |
| **कुल** | | **32,295** | **36,378** |

**लो.स.अतारां.प्र.सं. 2025**

**अनुबंध-III**

| राज्य | संचय आधार पर लाभ/(हानि) (पीएटी) (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | (91) |
| आंध्र प्रदेश | 190 |
| अरुणाचल प्रदेश | - |
| असम | 308 |
| बिहार | 2,079 |
| छत्तीसगढ़ | (407) |
| दिल्ली | 9,989 |
| गोवा | (119) |
| गुजरात | 3,984 |
| हरियाणा | (46) |
| हिमाचल प्रदेश | 342 |
| झारखंड | (1,928) |
| कर्नाटक | (8,869) |
| केरल | 574 |
| लद्दाख | 26 |
| मध्य प्रदेश | (2,561) |
| महाराष्ट्र | 2,324 |
| मणिपुर | 5 |
| मेघालय | (36) |
| मिजोरम | 32 |
| नागालैंड | 56 |
| ओडिशा | 439 |
| पुडुचेरी | 281 |
| पंजाब | 6,216 |
| राजस्थान | 1,262 |
| सिक्किम | (37) |
| तमिलनाडु | 2,073 |
| तेलंगाना | (2,462) |
| त्रिपुरा | (373) |
| उत्तर प्रदेश | (10,625) |
| उत्तराखंड | (47) |
| पश्चिम बंगाल | 125 |
| **कुल योग** | **2,701** |

**********